समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा प्रपत्र
(निविदा प्रपत्र सहित)

प्रपत्र मूल्य – ₹100.00 (एक सौ) रूपये

भोजन / नाश्ता / चाय आदि की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा

(क) **सामान्य शर्तें** :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, विशेष परिस्थिति में निर्वाचन कार्यहित में एक से अधिक एजेंसियों से अथवा किसी भी एजेंसी से कार्य को कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. निविदाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
7. निविदाताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
8. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर कर ली जायेगी।
9. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
10. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला प्रशासन के आदेशानुसार निर्धारित स्थल एवं समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय / मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।

(ख) **तकनीकी निविदा की शर्तें**:–

1. निविदादाता फर्म को GST निबंधन एवं आयकर का निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा साथ हीं अद्यतन आयकर जमा करने एवं GST रिर्टन करने संबंधी विवरणी की स्वअभिप्रमाणि प्रति भी संलग्न करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के पक्ष में ₹10,000/–(दस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
4. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गई है।
5. निविदादाता को चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण–पत्र निविदा निर्गत की तिथि से छह माह से अधिक का न हो।
6. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है, तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(ग) **वित्तीय निविदा की शर्तें**:–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से जिला मुख्यालय बेगूसराय में करना होगा।
2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा। अलग से किसी प्रकार का कर देय नहीं होगा।
3. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
4. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

7/03/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय

Scanned by CamScanner